मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

पत्र कमांक/13/अ.मु.स./श्रम/2020 भोपाल, दिनांक 05 जून, 2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– सर्वे किए गए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने की मंशा से "**रोजगार सेतु पोर्टल**" विषयक ।

संदर्भः– इस विभाग का ज्ञाप कमांक 321/पीएस/लेबर/2020 दिनांक 24/05/2020 एवं 977/पीएस/लेबर/2020 दिनांक 26/05/2020

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनमें 01 मार्च, 2020 या उसके बाद अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों का सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन दिनांक 27 मई, 2020 से दिनांक 06 जून, 2020 के मध्य किए जाने के निर्देश दिए गए हैं । सर्वे किए गए प्रवासी मजदूरों को राज्य में तथा राज्य के बाहर के उद्योगों/कारखानों/फैक्ट्रियों व्यावसायिक संस्थानों, बिल्डर्स/ कान्ट्रेक्टर्स आदि के द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध हों इसके लिए **"रोजगार सेतु पोर्टल"**निर्मित किया गया है ।

2/ **रोजगार सेतु पोर्टल** URL" www.RojgarSetu.mp.gov.in " पर उपलब्ध है । उक्त पोर्टल पर उपरोक्तानुसार सर्वे किए गए समस्त प्रवासी श्रमिकों की जानकारी उनके कौशल अनुसार एवं निवास जिले अनुसार उपलब्ध है। प्रवासी श्रमिकों में निर्माण श्रमिकों की 43, असंगठित श्रमिकों की 40 तथा कारखानों में नियोजित श्रमिकों की 09 श्रेणियाँ अंकित हैं ।

3/ उक्त पोर्टल पर श्रमिकों की आवश्यकता रखने वाले तथा नियोजन/रोजगार प्रदाय के लिए इच्छुक व्यक्ति/संस्थान जैसे– सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग, भवन निर्माता/ बिल्डर्स/कान्ट्रेक्टर्स, दुकान/मॉल/ व्यावसायिक प्रतिष्ठान, लेबर कान्ट्रेक्टर (जो Contract Labour Act में पंजीकृत हैं) आदि उक्त " www.RojgarSetu.mp.gov.in " पर जाकर Login एवं Password प्राप्त कर सकते हैं । पोर्टल पर पंजीयन करने के उपरान्त पोर्टल से प्रवासी श्रमिक के अनुभव/कौशल तथा निवास जिले के आधार पर प्रवासी श्रमिकों की सूची नियोजन/रोजगार प्रदायकर्ता प्राप्त कर सकेंगे । पोर्टल द्वारा प्रदायित रिपोर्ट में प्रवासी श्रमिकों से उनके उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर संपर्क कर एवं उनको उपयुक्त पाए जाने पर रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे । नियोजक/रोजगार प्रदायकर्ता को पोर्टल पर ही जिन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है की जानकारी भी इन्द्राज करनी होगी।

................2/

4/ **रोजगार सेतु पोर्टल** पर ऐसे नियोजकों की जानकारी भी प्रदर्शित की जावेगी जिन्हें श्रमिक/मजदूर की आवश्यकता है तथा जो पोर्टल पर पदवार/अहर्यताओं आदि की job vacancy की जानकारी प्रदर्शित करना चाहते हैं । प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर प्रदर्शित उद्यमियों/संस्थानों/नियोजकों से पोर्टल पर उनके द्वारा इन्द्राज फोन अथवा ईमेल पर स्वयं के स्तर से रोजगार प्राप्त करने हेतु सम्पर्क कर सकेंगे।

5/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सर्वे में अंकित जिन प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया गया है उनको **रोजगार सेतु पोर्टल** पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ ग्राम रोजगार सहायक द्वारा उक्तानुसार अंकित किए जाने की कार्यवाही की जावेगी।

6/ शासन के समस्त विभागों से, विशेषकर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, खनिज साधन विभाग, नगरीय विकास विभाग एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग आदि से विभागाध्यक्षों तथा विभागीय जिला अधिकारियों के माध्यम से ऐसे नियोजकों को पोर्टल पर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए **"रोजगार सेतु"** पोर्टल के प्रति जागरूक करने तथा इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित किए जाने की अपेक्षा है। साथ ही समस्त जिला कलेक्टर्स भी उनके जिले में नियोजकों/रोजगार प्रदायकर्ताओं को रोजगार सेतु पोर्टल के लिए जागरूक करने तथा उपयोग के लिए प्रेरित करने का कार्य सुनिश्चित करेंगे। श्रम विभाग द्वारा प्रत्येक सप्ताह विभागवार तथा जिलावार पोर्टल के उपयोग करने वाले नियोजकों की तथा रोजगार प्रदान करने की समीक्षा की जावेगी।

7/ प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के अवसर सृजित किए जाने हेतु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं उद्यम विभाग, तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग एवं श्रम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चयनित जिलों में जिलास्तर पर रोजगार मेले (job Fair) भी लगाए जावेंगें । रोजगार मेलों (job Fair) के लिए पृथक से तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा निर्देश शीघ्र प्रसारित किए जा रहे है।।

8/ कृपया उपरोक्त को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

5/6/20

(डॉ0 राजेश राजौरा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग

........3/

पृ. कमांक/14/अ.मु.स./श्रम/2020 भोपाल, दिनांक 05 जून, 2020

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय ।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन ।
4.. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर ।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. मेप आई.टी. को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु अंकित ।
7.. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल ।
8. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, भोपाल ।
9. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल ।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ।
11. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

अपर मुख्य सचिव 5/6/20

मध्यप्रदेश शासन

श्रम विभाग